

यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

नः- 134/2018

तारीखरजु:- 20-11-18

निर्णय दिनांक:-

उनवान:- रामखिलाडी आदि बनाम ~~मनसा~~ वगै०

दावा वावत स्थाई निषेधाज्ञा घारा 188 रा०टि०एक्ट

नांक	फर्द अहकाम
18	<p>वादी की ओर से श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट ने दावा वावत स्थाई निषेधाज्ञा 188 रा०टि०एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्च पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 02.01.2019 को पेश हो।</p> <p>उप जिला कलक्टर टोडाभीम/जिला करौली</p>
2-1-19	<p>वादी वकील उपर प्रतिवादी वाक्जुद सूचना उपलब्ध नहीं है। P.O. सा. इन्द्राश प् व आर्न्ट दि० 24-1-19 को पेश हो।</p>
24-1-19	<p>वकुलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी अपकाश है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक <u>2-2-19</u> को पेश हो।</p>
7-2-19	<p>पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। पीठसन अधिकारी अपकाश है। गतानुसार दिनांक <u>7-3-19</u> को पेश हो।</p>
7-3-19	<p>पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। गतानुसार दिनांक <u>3-4-19</u> को पेश हो।</p>
3-4-19	<p>पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। गतानुसार दिनांक <u>14-5-19</u> को पेश हो।</p>
14-5-19	<p>वकुलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी अपकाश है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक <u>19-6-19</u> को पेश हो।</p>
19-6-19	<p>वकुलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी अपकाश परप्यार है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक <u>5-7-19</u> को पेश हो।</p>

5351-52
21-11-18

यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

20-11-18

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित।
वादी वकील ने यह दावा Not Press कर खारिज
करने का कथन किया। अतः यह दावा Not Press
में खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल शुगार
होकर नम्बर से कम होकर दारिबल दफ्तर ले।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Not Press
[Signature]

